



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2025/ 378

-:आदेश:-

दिनांक 01/09/25

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड प्रति व मृत्यु प्रमाण प्रति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल तहसील बाली जिला पाली की जगाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 68, 67, 553, 245, 903, 551 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खीमेल	68 67 553 245 903 551	मूली पत्नी ताराराम मुली पत्नी ताराराम मुलीबाई पत्नी ताराराम मुलकीदेवी पुत्री वीराराम मुलकी पुत्री विदिया मुलकी पुत्री विदिया	मूली देवी उर्फ मूली पत्नी ताराराम मूली देवी उर्फ मुली पत्नी ताराराम मूली देवी उर्फ मुलीबाई पत्नी ताराराम मूली देवी उर्फ मुलकीदेवी पुत्री वीराराम मूली देवी उर्फ मुलकी पुत्री विदिया मूली देवी उर्फ मुलकी पुत्री विदिया



क्रमांक/कोर्ट/2025/1200 - 1202

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का खीमेल को पालनार्थ।
3. प्रार्थी मगाराम पुत्र ताराराम जाति मेघवाल निवासी खीमेल तहसील बाली वगैरा को सूचनार्थ।

3
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी बाली
पदेन सहा. कलक्टर, बाली
दिनांक 01/09/25

3
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
पदेन सहा. कलक्टर, बाली